6
क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

संदर्भ संख्याः– दिनांकः–
Ref.No.: G0232/OA No. 664/2023-24 Date: 04/03/2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of Joint Committee report in pursuant to order dated 11.01.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 11.01.2024 in the matter of O.A. No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the Joint Committe report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid Joint Committee report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

04/03/2024
(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-
1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.
5. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur.

Regional Officer
Sonbhadra.

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

Joint Committee Report in pursuant to order dated 11.01.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 664/2023, Ankur Verma versus State of Uttar Pradesh & Ors.

1. That Hon'ble NGT has constituted a joint committee vide its Order dated 11.01.2024 in Original Application No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors. and directed joint committee for verifying the factual position and suggests appropriate remedial action. The operative part of the order is reproduced as below: -

"...3. In view of the facts and circumstances of the case we consider itnecessary to have the response from (1) State of Uttar Pradesh, through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh (2) Executive Officer, Municipal Council, Mirzapur, (3) District Magistrate, Mirzapur and (4) UPPCB, through its Member Secretary who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Notices be issued to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their reply/response to the averments made in the application within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual

position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and the District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 12.03.2024……."

2. That in compliance of Hon'ble NGT directions, following members have been nominated by the concerned departments: -
    a. Shri Shiv Pratap Shukla, ADM (F/R), Mirzapur.
    b. Shri U.K. Gupta, Regional Officer, UPPCB, Sonebhadra.
3. That the Committee members discussed and decided a date for carrying out field visit. The joint committee conducted the site visit on dated 28.02.2024 of M/s Rishabh Traders, Meer Saheb Ki Gali, Kadamtar, Mirzapur for reviewing the factual status of the grievances made by the complainant/ applicant.

4. That the following issues were raised by the applicant in his application:-

   "...........complaining about illegal operation of a Metal melting furnace, factory and production unit behind his residential house at Mohalla Kadamtar ki Gali, Thana Kotwali City, District Mirzapur emitting toxic and black smoke particles, making intolerable noise and causing air pollution resulting in damage to environment and posing serious health hazards to local residents. The applicant has sought issuance of directions to the Project Proponent for relocation of the Industry to conforming area......"

5. Field Observations of the committee:

   I. M/s Rishabh Traders was found situated near residential house of the applicant. The unit is engaged in production of brass pot as main product using brass scraps as raw material. The information about production capacity of brass pot was not provided by the representative of the unit.

   II. At the time of visit, Shri Rishabh Kasera Son of Shri Krishan Chandra was present as proprietor of the unit and Shri Ankur verma was present as complainant. The unit representative informed that pit furnace is not operated. Only job work of finishing of raw brass pots is done on the market demand.

III. During visit by joint committee the unit was found operational. However, the process of melting process of brass scrap was found stopped on the day of site visit.

IV. The unit has installed one pit furnace as major air pollution source and coal is used as fuel in pit furnace. This pit furnace is used for melting of brass scraps. The unit has not provided any pollution control measures to control the emission emitted by furnace.

V. Photographs are as follows:-

VI. The monitoring of gaseous emission could not be done due to non-operation of pit furnace i. e. melting process of brass scraps at the time of visit. The unit will emit gaseous emission into surrounding atmosphere whenever it is operated as it has not provided any air pollution control system.

VII. The unit has not obtained 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. The unit is being operated without obtaining CTO in residential area without proper land use conversion. The record about land use was not produced by the unit.

6. That it is submitted that Regional Officer, UPPCB Sonbhadra has directed M/s Rishabh Traders, Meer Saheb Ki Gali, Kadamtar, Mirzapur for providing information vide letter no. G0214/OA-664/2023/2024 Dated-29.02.2024 with copy to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur for providing the information about the land use of the said unit. The copy of letter dated 29.02.2024 is attached herewith and marked as Annexure No.-1.

7. That it is submitted that Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur vide their reply dated 01.03.2024 has informed that the house of the unit is registered as residential in tax records and the house number-288 of ward number-05 is registered in the name of Shri Krishna Chand S/o Lt. Shri Chand. The reply of Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur is attached herewith and marked as Annexure No.-2.
8. That the unit vide its reply as notarized affidavit dated 02.03.2024, has also informed that pit furnace is not operated. Only job work of finishing of brass pots is being done as per demand. Applicant Shri Ankur verma is cousin brother of the unit proprietor and complaint is done by him due to family dispute. The copy of notarized affidavit dated 02.03.2024 is attached herewith and marked as Annexure No.-3.
9. That UPPCB has issued closure order against the unit under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-04.03.2024 as per recommendation made by Regional Officer, Sonbhadra sent vide letter dated-01.03.2024. The copies of letter dated 01.03.2024 and 04.03.2024 are attached herewith and marked as Annexures No.-4 and 5.
10. That UPPCB head-quarter, Lucknow vide its reference no H35723/C-4/OA No. 64/2016 letter dated 10.05.2019 has issued direction for complying of

order dated 28.11.2016 passed by the Hon'ble NGT in the matter of OA No 64/2016 Gopeshwar Nath Chaturvedi versus U.P. Pollution Control Board and Ors. The copies of letter dated 10.05.2019 and order dated 28.11.2016 are attached herewith and marked as Annexure No.-6 & 7. The operative past of the order is reproduced as below: -

"...8. In view of the above, we pass the following orders:

(v) If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed......"

In pursuant to direction issued from UPPCB head-quarter vide its letter dated 10.05.2019, Regional officer, UPPCB, Sonbhadra has requested to Executive Officer, Nagar PalikaParishad, Mirzapur for shifting of the said unit namely M/s Rishabh Tradres from residential area vide reference no G0219/OA-664/2023/2024 dated 01.03.2024 (Annexure No.-8).

Conclusion/Suggestions:

The Unit namely M/s Rishabh traders is situated in residential area. The unit is engaged in production of brass pots. During visit by joint committee the finishing work of raw brass pots was found in the unit. The process of melting of brass scrap was found stopped on the day of site visit. Due to closed operation of pit furnace, the monitoring of gaseous emission could not be done at the time of visit. The unit has not installed any pollution control system in the pit furnace. The

unit has not obtained 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. Therefore, the following steps should be taken by concerning department:-

I. UPPCB and District Administration must ensure compliance of the closure order issued by UPPCB under the under section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended).

II. The Unit should not operate as per given statement in the notarized affidavit dated 02.03.2024.

III. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur should initiate proceedings for shifting of the said unit namely M/s Rishabh Tradres from residential area in pursuant to order dated 28.11.2016 passed by the Hon'ble NGT in the matter of OA No 64/2016 Gopeshwar Nath Chaturvedi versus U.P. Pollution Control Board and Ors. and direction issued by UPPCB vide its letter dated 10.05.2019.

The above Joint Committee Report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

04/03/2024   04/03/24 ASDM   04-03-024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
U.P.P.C.B.,
Sonbhadra.

(Shiv Pratap Shukla)
ADM (F/R)
Mirzapur.

Annexure-1

15

क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः–
Ref.No.: G-0214/OA-664/2023/2024

दिनांकः–
Date: 29/02/2024

सेवा में,

M/s. Rishabh Traders,
Kadamtar, Meer Saheb Ki Gali,
District-Mirzapur.

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–664/2023 अंकुर वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–11.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–664/2023 अंकुर वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–11.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैंः–

"**4.** .... we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and the District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 12.03.2024......"

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक–28.02.2024 को किया गया। मौके पर आप द्वारा निम्न सूचनायें प्रस्तुत नहीं की गयीः–

1. भू–स्वामित्व एवं भू–प्रयोजन से सम्बन्धित अभिलेख।
2. उद्योग आधार/पंजियन से सम्बन्धित अभिलेख।
3. विद्युत संयोजन की प्रकृति से सम्बन्धित अभिलेख।
4. उद्योग स्वामी का पहँचान–पत्र/आधार कार्ड सम्बन्धित अभिलेख और उद्योग स्थल पर निर्माण भवन का स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से स्वीकृत मैप।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त वर्णित सूचनायें/अभिलेख लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे Factual Report मा0 अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके। निर्धारित अवधि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर आख्या प्रेषित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

29/02/2024

(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–

1. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मीरजापुर, जनपद–मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के भवन/स्थल का स्वीकृत मानचित्र विलम्बतम् 03 दिवस में प्रेषित करना चाहें।
2. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जनपद–मीरजापुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के पंजियन से सम्बन्धित सूचना 03 दिवस के अन्तर्गत प्रेषित करना चाहें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

29/02/2024

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-2

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।
Annexure-3 (Paess-47)

पत्रांक– 881 / वि0रा0 / 2023–24 दिनांक– 01 / 03 / 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रदुषण नियत्रंण ईकाइ
सोनभद्र,

विषय:– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 664 / 2023 अंकुर वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक G-0214/OA-664/2023/2024 दिनांक 29.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित विषयक में उपरोक्त फर्म के भवन / स्थल का स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को निर्देश दिया गया है।

कृपया विषयांकित सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वार्ड सं0 5 भवन सं0 288 पर श्री कृष्ण चन्द पुत्र स्व0 श्रीचन्द का नाम नगर पालिका के कर अभिलेख में अंकित है। भवन आवासीय के रूप मे कर अभिलेख में अंकित है। भवन का मानचित्र नगर पालिका द्वारा नही बल्कि विकास प्राधिकरण मीरजापुर से किया जाता है।

अतः आपके सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।

2/03/2024

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपए रु.

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CR 673337

2 Tickets Rs. 10/-
(P.N. SONEY)
Adv. NOTARY
Robertsganj-Sonbhadra

सेवा में,

समक्ष क्षेत्रीय अधिकारी

उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सोनभद्र

विषयः– अंकुर वर्मा पुत्र विष्णु चन्द कदमतर, साहब की गली, मीरजापुर द्वारा की गयी शिकायत को निरस्त किये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

मै ऋषभ कसेरा पुत्र श्री कृष्ण चन्द कसेरा मोहल्ला कदमतर, मीर साहब की गली पो0–सदर थाना–शहर कोतवाली तहसील सदर जिला मीरजापुर (उ0प्र0)

1. यह कि मै शपथ पूर्वक बयान करता हू कि शपथग्राही उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।
2. यह कि मेरे मकान के अंदर ही 2–3 रूम का स्पेस है जिसमें यदा कदा जाब वर्क (फिनिशिंग) का कार्य आर्डर मिलने पर किया जाता है।
3. यह कि शिकायत कर्ता अंकुर वर्मा हमारे पिता जी के सगे भाई के पुत्र है।
4. यह कि पारिवारिक विवाद के कारण व बंटवारा का विवाद है इसे क्षुब्ध होकर अंकुर वर्मा द्वारा शिकायत की गई है।
5. यह कि मेरे द्वारा भट्टी का संचालित नहीं किया जाता है व न किसी तरह का वायु, ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जाता है।
6. यह कि मै शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि शपथ पत्र के दफा 1– से 5 तक मजमून सच व सही है। कोई बात छिपायी नहीं गयी है।

अतः उपरोक्त शिकायत निरस्त करने की कृपा करें।

दिनांकः– 02–03–2024

ह0 शपथग्राही

ऋषभ कसेरा
9889810222
9044750447

महादेव प्रसाद (कल्लू …)

↓

श्री चन्द कसेरा

① विष्णु चन्द	② कृष्णा चन्द	③ स्वरूप चन्द	④ नवीन चन्द
↓	↓	↓	↓
अंकुर वर्मा	ऋषभ कसेरा	तरंग सिंह (अमन)	शाश्वत कसेरा

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ऋषभ कसेरा S/o श्री कृष्णा चन्द कसेरा निवासी कदमतर, मीर साहब की गली मीरजापुर। प्रार्थी के पिता कृष्णा चन्द मानसिक रूप से कमजोर है। कृष्णा चन्द आपस में चार सगे भाई है। आपसी बटवारा का वाद-विवाद है। जो कि हमारे पिता जी का सारा सम्पत्ति हड़पना चाहते है। दादा जी (श्री चन्द) के मृत्यु के बाद वसीयत मिला है लेकिन हमारे सम्पत्ति पर कब्जा किए है व बेचने के फिराक में है। हमकों समय-2 पर किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते है हिस्सा व मकान, जमीन न दे पड़े कुछ दिन पहले SC/ST में भी फसाने की कोशिश किए जो कि गलत था। मौके पर जाँच हुआ तो गलत सूचना था। विष्णु चन्द व स्वरूप चन्द भी भट्ठी व कारखाना चलाते है। मेरे यहाँ तो भट्ठी वर्षों से बन्द है उसके बाद भी हमको परेशान किया जा रहा है। हमारे यहाँ जाब वर्क वाफी-2 होता है मार्केट से माल आता है उसको बना कर देते है जिससें हमारें घर-परिवार का खर्च किसी तरीकें से होता है (अंकुर वर्मा के पिता जी जो कि स्वास्थ्य से ठीक है और मुकदमा भी किए है। माननीय न्यायालय में 324/18 सिविल जज जु० डि० के यहाँ विचाराधीन है। 20/03/2024 को तारीख भी है। व स्वरूप चन्द द्वारा मुकदमा सं० 307/18 सिविल जज जु० डि० के यहाँ विचाराधीन है। जिसका तारीख 04/04/2024 को है। हिस्सा व बटवारा न करना पड़े व पिता जी की सम्पत्ति पुरा हड़पने की कोशिश कर रहे है। वसीयत के अनुसार जहाँ से इनकों किराया मिल रहा है वहाँ पर मुकदमा नहीं किए व वसीयत के अनुसार अपनी जमीन बेचकर हमारे हिस्सा कब्जा करके बैठे है। जिससे हिस्सा न देना पड़े व परेशान करते चले आ रहे है। वसीयत के अनुसार हमको हिस्सा मिलेगा? कदमतर मीर साहब की गली में पुवर्जो के समय से कारखाना व बर्तन बनाने का कार्य होता चला आ रहा है जिससे सबका परिवार का पालन-पोषण होता है। पीतल बर्तन में खाना बनाना व खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है।

अत: आप श्री मान जी से विनम्र निवेदन है कि

उक्त मामलें की जानकारी को देखते हुए उचित कार्यवाही करनें की कृपा करें। इसके लिए प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।

दिनांक
02/03/2024

प्रार्थी
ऋषभ कसेरा
पुत्र
कृष्णा चन्द कसेरा निवासी
कदमतर, मीर साहब की गली
मीरजापुर
mob. 9044750447

भारत सरकार
Government of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE

UDYAM REGISTRATION NUMBER	UDYAM-UP-57-0023073
NAME OF ENTERPRISE	RISHABH TRADERS

TYPE OF ENTERPRISE *

SNo.	Classification Year	Enterprise Type	Classification Date
1	2023-24	Micro	20/02/2024

MAJOR ACTIVITY	MANUFACTURING
SOCIAL CATEGORY OF ENTREPRENEUR	OBC

NAME OF UNIT(S)

S.No.	Name of Unit(s)
1	RISABH TRADERS

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	623	Name of Premises/ Building	KADAMTAR MEER SAHAB KI GALI
Village/Town	MIRZAPUR	Block	CITY
Road/Street/Lane	CITY KOTWALI ROAD	City	MIRZAPUR
State	UTTAR PRADESH	District	MIRZAPUR , Pin 231001
Mobile	9044750447	Email:	kasera1992@gmail.com

DATE OF INCORPORATION / REGISTRATION OF ENTERPRISE	31/08/2017
DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION/BUSINESS	

NATIONAL INDUSTRY CLASSIFICATION CODE(S)

SNo.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	32 - Other manufacturing	3290 - Other manufacturing n.e.c.	32909 - Manufacture of other articles n.e.c.	Manufacturing

DATE OF UDYAM REGISTRATION 20/02/2024

* In case of graduation (upward/reverse) of status of an enterprise, the benefit of the Government Schemes will be availed as per the provisions of Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by the M/o MSME.

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from https://udyamregistration.gov.in & Date of printing:- 20/02/2024

For any assistance, you may contact:

1. District Industries Centre: MIRZAPUR (UTTAR PRADESH)
2. MSME-DFO: ALLAHABAD (UTTAR PRADESH)

Visit : www.msme.gov.in ; www.dcmsme.gov.in ; www.champ

Follow us @minmsme & @msmecha

भारत सरकार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन

To
ऋषभ कसेरा

city kotwali
Ahi

Signature Not Verified

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- सुरक्षित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication.
- This is electronically generated letter.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है।
- आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें।
- आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, mAadhaar App के साथ।

- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar helps you avail various Government and non-Government services easily.
- Keep your mobile number & email ID updated in Aadhaar.
- Carry Aadhaar in your smart phone – use mAadhaar App.

भारत सरकार
Government of India

ऋषभ कसेरा
Rishabh Kasera

पुरुष/ MALE

Issue Date: 30/07/2014

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
संबोधित: कृष्ण चंद
शहर कोतवाली, अह
उत्तर प्रदेश - 231001

Address:

RECEIPT NO 287036

FORM NO. 5
RECEIPT

BOOK NO. B

Municipality _______________

Demand Register no _______________

Received from _______________

Rupees (in words) _______________

on account of _______________

premises no. _______________ Mohalla _______________

For the period _______________

in full/part payment of demand bill no. _______________ dated _______________

Rs. 850-00

Dated

Executive Officer/Secretary

Tax Collector.

Clerk-in-charge of Demand and Collection Register

Cashier

Accountant.

Tax Superintendent.

P.S.U.P.–01 Nagar Palika–04-04-2018–10,000 Books (D.T.P./Offset).

Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited

(Regd. Office Shakti Bhawan)
(Temp SDO 4668119), UP, EDD -II
Mirzapur, UP

Printed Date:
13/02/2019

Payment Receipt

Receipt No.	945792633648	Counter No.	46681121
Collection Date	13/02/2019	Counter Name:	Cash Counter For EDD -II Mirzapur-PUVNL
Account No.	9457926000	Tender Control ID	4053189603
Consumer Name	RISABH KASERA	Address	MEER SAHED GALIMIRZA PUR , MIRZAPUR
Cash	Amount:		6133.00

Total Amount Received: 6133.00

Received Amount : Six Thousand One Hundred Thirty Three Rupees And Zero Paisa Only

Payment Taken By:
JAIDAYAL : user
Receipt Printed By:
JAIDAYAL : user

C.N.R

UPMI04000282 2018

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर

वाद संख्या 324/18 सन 2018

विष्णु चन्द उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र स्व0 श्रीचन्द निवासी मुहल्ला मीरसाहब की गली पोस्ट सदर तहसील सदर जिला व शहर मीरजापुर।

..............वादी

बनाम

1. कृष्ण चन्द उम्र लगभग 58 वर्ष
2. स्वरूप चन्द उम्र लगभग 56 वर्ष } पुत्रगण स्व0 श्रीचन्द
3. [illegible] चन्द उम्र लगभग 44 वर्ष

समस्त निवासीगण मुहल्ला मीरसाहब की गली पोस्ट सदर तहसील सदर जिला व शहर मीरजापुर।

........................प्रतिवादीगण

<u>वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—</u>

दफा :—1 यह कि वादपत्र के अन्त में उल्लिखित सम्पत्ति मद [illegible] पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.06.2006 को वादी [illegible] प्रतिवादीगण के पिता श्रीचन्द द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के [illegible] में तहरीर किया गया है।

दफा :—2 यह कि वादी व प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक [illegible] 2016 को होने के पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त वसीयतशुदा सम्पत्ति स्थित मौजा बथुआ तप्पा 84, [illegible] कंतित, तहसील सदर जिला मीरजापुर का आपस मे बटवारा करके दिनांक 01.03.2017 को याददाश्तनामा तहरीर व तकसीम करके अपने-अपने हिस्सा [illegible] पर [illegible] काबिज दखील है।

विष्णु चन्द

दफा :—3 यह कि याददाश्तनामा दिनाक 01.03.2017 मे उल्लिखित सम्पत्ति मद "क" मे से वादी को सम्पत्ति मद "ख" व प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पत्ति मद "ड़" एंव प्रतिवादी संख्या 2 को सम्पत्ति मद "ग" तथा प्रतिवादी संख्या 3 को सम्पत्ति मद "घ" मिला जिसपर वादी व प्रतिवादीगण काबिज दखिल होकर उसका उपयोग व उपभोग अपने—अपने सुविधानुसार कर रहे हैं।

दफा :—4 यह कि वादपत्र व याद्दाश्तनामा में उल्लिखित सम्पत्ति जो नगर पालिका परिषद मीरजापुर अन्तर्गत है और वार्ड संख्या 12 में भवन संख्या 1325 पर वादी का नाम अंकित है तथा भवन संख्या 1326 पर प्रतिवादी संख्या 1 भवन संख्या 1324 पर प्रतिवादी सख्या 2 एवं भवन संख्या 1327 पर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम अंकित है।

दफा :—5 यह कि उपरोक्त सभी चारो सम्पत्ति भवन पर वादी व प्रतिवादीगण अपने—अपने सम्पत्ति हिस्सा पर बतौर मालिक काबिज दखिल रहकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है।

दफा :—6 यह कि वादी की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से उसमें निशान लगाकर निर्माण करना चाहते है। वादी की सम्पत्ति मद "ख" वादपत्र से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नही है। वादी मद "ख" भवन संख्या 1325 का तनहा मालिक काबिज है। प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार वादी की सम्पत्ति पर नही है।

दफा :—7 यह कि वादी की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर स, द, य, र से प्रदर्शित किया गया है व प्रतिवादी संख्या 1 की सम्पत्ति भवन संख्या 1328

विष्णु चन्द

अक्षर य, र, ल, व एवं प्रतिवादी संख्या 2 की सम्पत्ति भवन संख्या 1324 अक्षर अ, ब, स, द तथा प्रतिवादी संख्या 3 की सम्पत्ति भवन संख्या 1327 अक्षर ल, वं, श, ष से प्रदर्शित है।

दफा :–8 यह कि प्रतिवादी जबरिया बिना किसी अधिकार के वादी की सम्पत्ति नक्शा नजरी वादपत्र अक्षर स, द, य,र मे तथा उसमे स्थित कोठरी अक्षर त, थ, द, घ पर तोडफोड कर कब्जा करने की नियत से दिनांक 26.03.2018 को अपने साथ कुछ मजदूरो को लेकर आये और वादी की सम्पत्ति अक्षर स, द, य, र मे निशान लगाकर खनखोद करना चाहे जिसे वादी ने रोक दिया। उस समय प्रतिवादीगण चले गये लेकिन जाते समय धमकी दिये कि शीघ्र ही अधिक आदमियो के साथ आकर निर्माण करायेगे।

दफा :–9 यह कि प्रतिवादीगण की नियत वादी की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करने की बनी है। वादी सीधा साधा व्यक्ति है लडाई झगडा नही करना चाहता इसलिए न्यायालय मे निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत करके प्रतिवादीगण को उनके नाजायज हरकत को रोकना आवश्यक हो गया।

दफा :–10 यह कि वाद का कारण दिनांक 26.03.2018 को जब प्रतिवादीगण वादी की सम्पत्ति पर चढकर आये और निशान लगाकर निर्माण करना चाहे से बमुकाम [illegible] अन्दर अख्तियार समायत न्यायालय हाजा के उत्पन्न हुई और न्यायालय को मुकदमा के समायत का अधिकार हासिल है।

दफा :–11 यह कि वाद का मूल्यांकन रूपया 3,00000/– रूपये कायम किया जाता है और इस पर नियमानुसार न्याय शुल्क अदा किया जाता है।

दफा :–12 यह कि वादी निम्नलिखित प्रतिकारो की याचना करता है–

विष्णु चन्द

72/5

अ. यह कि बजरिए स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण को सदैव के लिए मना किया जावे कि वे वादी की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 वार्ड संख्या 12 जो वादपत्र के अन्त में मद "ख" से प्रदर्शित किया गया है तथा नक्शा नजरी वादपत्र मे अक्षर स, द, य, र एवं उसमे स्थित कोठरी अक्षर त, थ, द, ध से अंकित है मे कोई खनखोद न करे न ही कोई निर्माण करे तथा अक्षर त, थ, द, ध कोठरी वादी मे अनाधिकार कब्जा दखल न करे न ही कोई तोडफोड करे तथा वादी के कब्जा दखल व निर्माण करने में कोई अवरोध न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अपने हेली मेली व्यक्तियो या एजेन्टो से करे या करावे।

ब. यह कि खर्चा मुकदमा की डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

स. यह कि अलावा या बजाय दादरसी उपरोक्त अन्य जिस किसी दादरसी का मुस्तहक वादी नजदीक राय अदालत पाया जावे उसकी भी डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाया जावे।

दिनांकः– वादी

मद क

सम्पूर्ण जायदाद स्थित ग्राम बथुआ तप्पा 84 परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर।

चौहद्दी– पूरब– लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम– जमीन व मकान अन्य, उत्तर– जमीन व मकान अन्य, दक्षिण– जमीन व मकान अन्य

मद ख (वादी)

चौहद्दी– पूरब– लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम– जमीन व मकान अन्य, उत्तर– बहिस्सा कृष्णचन्द दक्षिण– बहिस्सा स्वरूपचन्द

मद ग (प्रतिवादी सख्या 2)

चौहद्दी– पूरब– लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम– जमीन व मकान अन्य, उत्तर– हिस्सा विष्णुचन्द दक्षिण– जमीन व मकान अन्य

मद घ (नवीन चन्द प्रतिवादी संख्या 3)

चौहद्दी– पूरब– लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम– जमीन व मकान अन्य, उत्तर– जमीन व मकान अन्य, दक्षिण– हिस्सा कृष्णचन्द

मद ङ. (कृष्ण चन्द प्रतिवादी संख्या 1)

चौहद्दी– पूरब– लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम– जमीन व मकान अन्य, उत्तर– हिस्सा नवीनचन्द दक्षिण– हिस्सा विष्णुचन्द

दिनांक - 30-8-2018 वादी विष्णु चन्द

सत्यापन

हम वादी प्रमाणित करता हूँ कि वाद पत्र के कुल मजमून दफा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 मेरी व्यक्तिगत जानकारी व विश्वास मे सच व सही है। कोई बात झूठ या छिपायी नही गयी है। लिखा मुकाम दीवानी कचहरी मीरजापुर।

दिनांकः– 30-03-2018

वादी

विष्णु चन्द

23/6

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर

वाद संख्या   सन 2018

विष्णु चन्द्र   बनाम   कृष्ण चन्द आदि

नक्शा नजरी

विवरण सम्पत्ति स्थित बथुआ तप्पा 84, परगना कंतित, तहसील सदर जिला मीरजापुर। भवन संख्या 1325 वार्ड संख्या 12

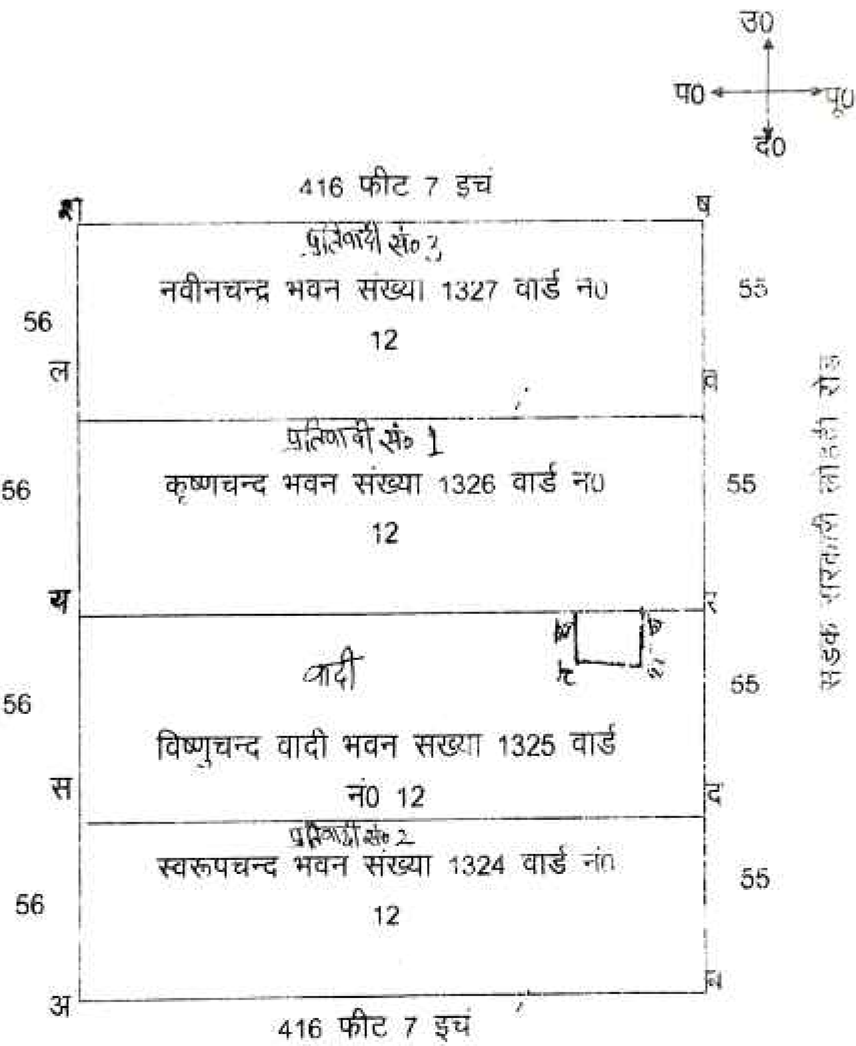

दिनांकः– 30-03-2018

वादी
विष्णु चन्द

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर

वाद संख्या   सन 2018

विष्णु चन्द   बनाम   कृष्ण चन्द आदि

प्रार्थनापत्र द्वारा– विष्णु चन्द वादी/प्रार्थी मार्फत नरेशचन्द्र एडवोकेट।

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन है कि उक्त वाद में हम वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो श्रीमान् जी के यहाँ विचाराधीन है। प्रतिवादीगण जबरदस्ती गुण्डई व संरहगई के बल पर विवादित आराजी में खन खोद की कब्जा करने के फिराक में पडे हुए हुए है। ऐसी दशा में किसी अमीन अदालत को मौके पर भेज कर रिपोर्ट मौके का मँगाया जाना आवश्यक व न्याय संगत होगा।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त मुकदमें में किसी अमीन अदालत को नियुक्त किया जाकर उन्हे यह निर्देश दिये जाने की आज्ञा प्रदान करे कि अमीन महोदय प्रतिवादीगण पर आदेश एवं नोटिस का तामीला करे एवं मौके की आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करे।

दिनांकः– 30-[illegible]-2018

प्रार्थी

विष्णु चन्द

C.N.A

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर

वाद संख्या सन् 2018

विष्णु चन्द बनाम कृष्ण चन्द आदि

शपथपत्र द्वारा:– विष्णु चन्द उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र स्व0 श्रीचन्द्र निवासी मुहल्ला मीरसाहब की गली पोस्ट सदर तहसील सदर जिला व शहर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता है:–

दफा :–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा वादी मुकदमा है।

दफा :–2 यह कि वादपत्र के अन्त में उल्लिखित सम्पत्ति मद "क" का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.06.2006 को शपथग्राही व प्रतिवादीगण के पिता श्रीचन्द्र द्वारा शपथग्राही व प्रतिवादीगण के पक्ष में तहरीर किया गया है।

दफा :–3 यह कि शपथग्राही व प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 28.08.2016 को होने के पश्चात् शपथग्राही व प्रतिवादीगण ने उक्त वसीयतशुदा सम्पत्ति स्थित मौजा बथुआ तप्पा 84, परगना कंतित, तहसील सदर जिला मीरजापुर का आपस मे बटवारा करके दिनांक 01.03.2017 को याददाश्तनामा तहरीर व तकमील करके अपने–अपने हिस्सा सम्पत्ति बटवारा पर बतौर मालिक काबिज दखील है।

दफा :–4 यह कि याददाश्तनामा दिनांक 01.03.2017 मे उल्लिखित सम्पत्ति मद "क" मे से शपथग्राही को सम्पत्ति मद "ख" व प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पत्ति मद "ड" एंव प्रतिवादी संख्या 2 को सम्पत्ति मद "ग" तथा प्रतिवादी संख्या 3 को सम्पत्ति मद

विष्णु चन्द

"घ" मिला जिसपर शपथग्राही व प्रतिवादीगण काबिज दखिल होकर उसका उपयोग व उपभोग अपने–अपने सुविधानुसार कर रहे है।

दफा :–5 यह कि वादपत्र व याद्दाश्तनामा में उल्लिखित सम्पत्ति जो नगर पालिका परिषद मीरजापुर अन्तर्गत है और वार्ड संख्या 12 में भवन संख्या 1325 पर शपथग्राही का नाम अंकित है तथा भवन संख्या 1326 पर प्रतिवादी संख्या 1 भवन संख्या 1324 पर प्रतिवादी सख्या 2 एवं भवन संख्या 1327 पर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम अंकित है।

दफा :–6 यह कि उपरोक्त सभी चारो सम्पत्ति भवन पर शपथग्राही व प्रतिवादीगण अपने–अपने सम्पत्ति हिस्सा पर बतौर मालिक काबिज दखिल रहकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है।

दफा :–7 यह कि शपथग्राही की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से उसमें निशान लगाकर निर्माण करना चाहते है। शपथग्राही की सम्पत्ति मद "ख" वादपत्र से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नही है। शपथग्राही मद "ख" भवन संख्या 1325 का तनहा मालिक काबिज है। प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार शपथग्राही की सम्पत्ति पर नही है।

दफा :–8 यह कि शपथग्राही की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर स, द, य, र से प्रदर्शित किया गया है व प्रतिवादी संख्या 1 की सम्पत्ति भवन संख्या 1326 अक्षर य, र, ल, व एवं प्रतिवादी संख्या 2 की सम्पत्ति भवन संख्या 1324 अक्षर अ, ब, स, द तथा प्रतिवादी संख्या 3

विष्णु चन्द

की सम्पत्ति भवन संख्या 1327 अक्षर ल, व, श, ष से प्रदर्शित है।

दफा :–9 यह कि प्रतिवादी जबरिया बिना किसी अधिकार के शपथग्राही की सम्पत्ति नक्शा नजरी वादपत्र अक्षर स, द, य,र मे तथा उसमे स्थित कोठरी अक्षर त, थ, द, घ पर तोडफोड कर कब्जा करने की नियत से दिनाक 26.03.2018 को अपने साथ कुछ मजदूरो को लेकर आये और शपथग्राही की सम्पत्ति अक्षर स, द, य, र मे निशान लगाकर खनखोद करना चाहे जिसे शपथग्राही ने रोक दिया उस समय प्रतिवादीगण चले गये लेकिन जाते समय धमकी दिये कि शीघ्र ही अधिक आदमियो के साथ आकर निर्माण करायेगे।

दफा :–10 यह कि प्रतिवादीगण की नियत शपथग्राही की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करने की बनी है। शपथग्राही सीधा साधा व्यक्ति है लडाई झगडा नही करना चाहता इसलिए न्यायालय मे निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत करके प्रतिवादीगण को उनके नाजायज हरकत को रोकना आवश्यक हो गया।

दफा :–11 यह कि वाद का कारण दिनांक 26.03.2018 को जब प्रतिवादीगण शपथग्राही की सम्पत्ति पर चढकर आये और निशान लगाकर निर्माण करना चाहे से बमुकाम ~~बबुई~~ अन्दर अख्तियार समायत न्यायालय हाजा के उत्पन्न हुई और न्यायालय को मुकदमा के समायत का अधिकार हासिल है।

दफा :–12 यह कि शपथपत्र के कुल मजमून दफात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 मेरी व्यक्तिगत जानकारी व विश्वास मे सच व सही है। कोई बात झूठ या छिपायी नही गयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथग्राही

दिनांकः– 30-03-2018

विष्णु चन्द

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) महोदय मीरजापुर

मु0नं0— 301/18 सन् 2018

स्वरूप चन्द बनाम विष्णु चन्द वगै0

शपथपत्र द्वारा—स्वरूप चन्द बउम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र स्व0 श्रीचन्द निवासी मुहल्ला—कदमतर (मीरसाहब की गली), तप्पा—84, परगना—कंतित, तहसील —सदर, शहर—मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है:—

दफा 1— यह कि शपथग्राही उपरोक्त वाद में वादी है और हालात मुकदमे की जानकारी रखता है और उक्त नाम व पते का मूल निवासी है।

दफा 2— यह कि निम्नलिखित मकान वाद पत्र शपथग्राही व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है और शपथग्राही व प्रतिवादीगण के पिता श्री चन्द ने अपने जीवनकाल मे अपनी सम्पत्ति के बावत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.06.2006 बहक शपथग्राही व प्रतिवादीगण तहरीर किया था।

अजय कुमार गुप्ता एडवोकेट शपथ आयुक्त, मीरजापुर 24.03.18

दफा 3— यह कि शपथग्राही व प्रतिवादीगण की माँ श्रीमती गनेशा देवी की मृत्यु पिता श्री चन्द के जीवनकाल मे हो गयी थी और श्रीचन्द की मृत्यु दिनाक 28.08.2016 को हो गयी है और बादमृत्यु स्व0 श्रीचन्द के शपथग्राही निम्नलिखित मकान मे बहैसियत मालिक काबिज दाखिल है और प्रतिवादीगण अन्य मकानात मे अपने अपने परिवार के साथ जीवन व्यतित कर रहे है।

दफा 4— यह कि निम्नलिखित मकान मे मुताबिक वसीयतनामा शपथग्राही व प्रतिवादीगण बराबर—बराबर के अंशधारी है किन्तु शुरू से ही शपथग्राही मय परिवार निम्नलिखित मकान मे रहाईश करता

स्वरूप चन्द

चला आ रहा है और हमेशा शपथग्राही निम्नलिखित मकान के रख रखाव और चुना सफेदी, मरम्मत आदि का इंतजाम करता है किन्तु प्रतिवादीगण बराबर मकान के बटवारे को लेकर खीचा तानी करते है और शपथग्राही को मरम्मत आदि करने मे विवाद उत्पन्न करते है।

दफा 5– यह कि प्रतिवादीगण के आपसी खीचातानी और विवाद के कारण निम्नलिखित मकान के रख रखाव मे काफी दिक्कत आ रही है। जिससे मकान की नवईयत दिनो–दिनो कमजोर होती जा रही है निम्नलिखित मकान काफी पुराना है और बिना मरम्मत इत्यादि के कभी भी कोई क्षति उठानी पड़ सकती है।

अजय कुमार गुप्ता एडवोकेट शपथ आयुक्त, मीरजापुर

दफा 6– यह कि शपथग्राही ने प्रतिवादीगण से बार–बार आपसी बटवारा करने के लिए आग्रह किया किन्तु प्रतिवादीगण सुनवा नही हो रहे है बराबर धमकी देते है कि जबरजस्ती मकान मे कब्जा कर लेगे। प्रतिवादीगण बहुत ही मुकदमेबाज व चालाक किस्म के लोग है। प्रतिवादीगण के उत्पीड़न से शपथग्राही तथा उसके परिवार का अपने ही घर मे रहना मुश्किल हो गया है।

दफा 7– यह कि शपथग्राही हमेशा मुताबिक वसीयतनामा प्रतिवादीगण से बटवारे के लिए कहता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण असमाजिक तत्वों का भय दिखाकर तथा इलाका पुलिस मे शपथग्राही के विरूद्ध नाजायज प्रार्थना पत्र देकर परेशान करते है जिससे शपथग्राही व उसका परिवार काफी दुखी व भयभीत है।

दफा 8– यह कि कल प्रतिवादीगण नाजायज गोल बनाकर निम्नलिखित मकान पर चढ आये और जबरजस्ती घर मे शपथग्राही के रखे हुए सामानो को उठाकर ले जाने का प्रयास किया। जिस पर शपथग्राही और मुहल्ले के लोगो द्वारा बीच बचाव करने से

प्रतिवादीगण अपने नाजायज हरकत मे कामयाब नही हुए। पस जरूरत नालिश हाजा के पैदा हुई।

दफा 9— यह कि बिनाय मुखासिमत नालिश हाजा बरोज दिनांक 23.03.2018 को सुबह समय 8:00 बजे प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक वसीयतनामा सम्पत्ति का बटवारा करने से साफ इन्कार करने तथा जबरजस्ती निम्नलिखित मकान मे से शपथग्राही के सामानो को उठाकर ले जााने का प्रयास करने से बमुकाम मुहल्ला—कदमतर (मीरसाहब की गली), तप्पा—84, परगना—कंतित, तहसील—सदर, शहर—मीरजापुर अन्दर हदूद अख्तियार समायत अदालत हाजा के पैदा हुई और अदालत हाजा को मुकदमा हाजा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है।

अजर ...नार ...
एडवोकेट
शपथ आयुक्त, मीरजापुर
24.03.18

दफा 10— यह कि शपथ पत्र में दिये गये दफात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 की कुल मजमून मेरी व्यक्तिगत जानकारी मे सच व सही है काई भी बात झूठी या छिपायी नही गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

शपथग्राही

दिनांकः—24.03.2018

24/3/2018

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AD 057018

नकल स्टा 50/— अर इस्टाम्प 50 —

वसीयत नामा

आवेदन प्रस्तुत कर्ता का नाम: शोभम केसरी

आवेदन प्रस्तुत ति० 6/2/2018

जारीकर्ता श्री चन्द

बहक विशम्भरचन्द

शा० ति० 15/6/06

मूल दस्तावेज की छाया प्रति है

नकल तै० ति० 15/2/2018

नकल तैयार कर्ता

सत्यनारायन राम
नि० लि०

उप निबन्धक
सदर-मीरजापुर
15/2

35

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रू.10 — TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 799504

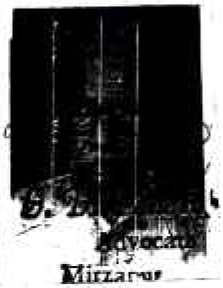

1- किस्म दस्तावेज- वसीयतनामा बिला मालियती

2- देय स्टाम्प मुवलिग 50/-रुपया

हम कि श्रीचन्द पुत्र स्वर्गीय महावीर प्रसाद उर्फ कल्लू गड़इया निवासी मुहल्ला कटमतर ﴾ मीर साहब की गली ﴿ पत्रालय मीरजापुर सदर तहसील मीरजापुर सदर शहर व जिला मीरजापुर का हूँ।

चूँकि हम पत्र नायक की आयु लगभग उन्नासी ﴾ 79 ﴿ वर्ष की हो चुकी है हम पत्र नायक की धर्मपत्नी श्रीमती गनेशादेवी का स्वर्गवास हो गया है। हम पत्र-नायक अक्सर बीमार रहता है। हम पत्र नायक की आँख की रोशनी दिन प्रति-दिन घटती जा रही है। हम पत्र नायक शरीर से कमजोर होता जा रहा है। जीवन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 799505

का कोई ठिकाना नही कि कब हम पत्र नायक के प्राण इस नश्वर शरीर का परित्याग कर देवे और उस दशा मे हम पत्र नायक की हार्दिक इच्छा हृदय में ही रह जावेगी ।

हम पत्र नायक के चार पुत्र गण क्रमश: 1- किशुनचन्द व (2) कृष्णचन्द व (3) स्वरूपचन्द व (4) नवीनचन्द है। हम पत्र नायक के द्वितीय पुत्र कृष्णचन्द बुद्धि से कुछ कमजोर है। हम पत्र नायक के चारो पुत्र गण हम पत्र नायक को हर संम्भव सेवा टहल व दवा व इलाज बराबर करते कराते चले आ रहे है जिससे हम पत्र नायक अपने पुत्रो से हर प्रकार से प्रसन्न व खुश हैं। हम पत्र नायक की तीन पुत्रियाँ है जिनको शादी व विवाह हम पत्र नायक ने सम्पन्न व संभ्रान्त व अच्छे परिवारों में कर दिया है। हम पत्र नायक निम्नलिखित सात (7) किता मकानो व एक बाग स्थित ग्राम बथुआ तप्पा 84 परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर का स्वामी व मालिक व काबिज है। जब तक हम पत्र नायक जीवित रहेगा हम पत्र नायक अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का पूर्ण स्वत्वाधिकार सम्पन्न मालिक व स्वामी व काबिज दखील रहेगा और हम पत्र नायक को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की बाबत सभी प्रकार का अधिकार हस्तान्तरण का रहेगा । हम पत्र नायक अपनी समस्त अचल सम्पत्ति के बाबत अपना यह अन्तिम इच्छापत्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -3- 07AA 799506

§ वसीयतनामा § अपनी निम्नांकित अचल सम्पत्ति की बावत अपने स्वस्थ्य मस्तिष्क से व प्रसन्न चित्त से खूब सोच विचार कर अपनी निम्नांकित अचल सम्पत्ति की बावत अपनी जीवन काल के बाद के लिये कर देता है :- दफा 1- यहकि जब तक हम पत्र-नायक जीवित रहेगा तब तक अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का पूर्ण मालिक व काबिज व दखील रहेगा । दफा 2- यहकि मुहल्ला कदमतर § मीर साहब की गली § शहर मीरजापुर वार्ड संख्या 5 मकान नम्बर 288 का आधा अंश § एक बटा दो § हम पत्र नायक का है। हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद मुहल्ला कदमतर§ मीर साहब की गली§ वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर 288 के उपरोक्त आधा अंश के स्वामी व मालिक व काबिज हम पत्र नायक के उपरोक्त चारो पुत्र गण किशुनचन्द व कृष्णचन्द व स्वरूपचन्द व महेशचन्द बहिस्सा बराबर - बराबर हो जावेंगे । वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर 288 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरब- गली सरकारी , पश्चिम- गली सरकारी , उत्तर- मकान प्रेमचन्द , दक्षिण- मकान पंकज कुमार । दफा 3- यह कि मुहल्ला कदमतर § मीर साहब की गली § शहर मीरजापुर वार्ड संख्या 5 में स्थित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH -4- 07AA 799507

मकान नं0 623 के उत्तर से दक्षिण 106 फीट लम्बे हिस्सा का जिसकी चौहद्दी निम्नवत है का मालिक व काबिज हम पत्र नायक है :- पूरब- गली सरकारी , पश्चिम- मकान जवाहिर व कैलाशनाथ व रामविलास व गुलजारी लाल , उत्तर- मकान नं0623 का शेष अंश जो किशुनचन्द व स्वरूपचन्द व नवीनचन्द का होगा । दक्षिण- सरकारी गली ।

हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद उपरोक्त सम्पत्ति के तनहा मालिक व काबिज हम पत्र-नायक के द्वितीय पुत्र कृष्णचन्द होंगे , परन्तु उन्हे उक्त मकान को तनहा हस्तान्तरित करने या बय बैयो करने का कोई अधिकार नहीं होगा । वह जब कोई हस्तान्तरण या बयनामा करना चाहेंगे तो उक्त हस्तान्तरण या बैनामा पत्र पर बतौर गवाहान हम पत्रनायक के दो पुत्र गण स्वरूपचन्द व नवीनचन्द का हस्ताक्षर कराया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। इस दफा मे हस्तान्तरण का अर्थ बयनामा, बख्शीशनामा , वसीयतनामा से होगा। उक्त कृष्णचन्द्र को उक्त मकान को रेहन करने का कोई अधिकार नही होगा । दफा 4- यह कि मुहल्ला कदमतर (मीर साहब की गली) शहर मीरजापुर वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर 610 तथा उक्त वार्ड संख्या 5 मे स्थित उपरोक्त

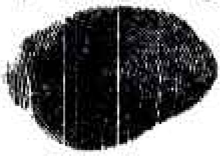

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 799508

मकान नम्बर 623 के उपरोक्त 106 फीट की उत्तर से दक्षिण लम्बाई के बाद के बचे उत्तरी हिस्सा के मालिक व काबिज हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद हम पत्र नायक के तीन पुत्र गण विष्णुचन्द, स्वरूपचन्द व नवीनचन्द बहिस्सा बराबर- बराबर के होंगे। इसमें कृष्णचन्द द्वितीय पुत्र हम पत्र नायक का कोई हिस्सा या हक नहीं होगा। वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर-610 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरब- गली सरकारी, पश्चिम - मकान गुलजारी लाल व रामविलास, उत्तर- गली सरकारी, दक्षिण- वार्ड संख्या 5 मकान नम्बर 623 का शेष अंश जो उत्तर से दक्षिण 106 फीट की लम्बाई को छोड़ कर है। दफा 5- यह कि मुहल्ला कदमतर (इमली महादेव) वार्ड संख्या 5 शहर मोरधपुर स्थित निम्नलिखित मकान 246 के हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद तनहा मालिक व काबिज हम पत्र नायक के चतुर्थ पुत्र नवीनचन्द होंगे। मुहल्ला कदमतर (इमली महादेव) वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर 246 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरब- गली सरकारी, पश्चिम - मकान विजयकुमार व विनय कुमार, उत्तर- गली सरकारी, दक्षिण - मकान निर्मला देवी। दफा 6- यह कि मुहल्ला कदमतर

1Re

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

वार्ड संख्या 5 शहर मीरजापुर स्थित निम्नलिखित मकान नं0251 के हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद तनहा मालिक व काबिज हम पत्र नायक के ज्येष्ठ पुत्र विष्णुचन्द हो जावेंगे। मुहल्ला कदमतर वार्ड संख्या 5 शहर मीरजापुर मे स्थित मकान नं0 251 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरब- गली सरकारी , पश्चिम - गली सरकारी , उत्तर - मकान जवाहिर लाल , दक्षिण- मकान लक्ष्मीचन्द । दफा 7- यह कि मुहल्ला सबरी तप्पा 84 परगना कंतित तहसील मीरजापुर सदर शहर मीरजापुर वार्ड नं0 12 स्थित मकान नम्बर 594 के हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद तनहा मालिक व काबिज हम पत्र नायक के दो पुत्रगण स्वरूपचन्द , नवीनचन्द बहिस्सा बराबर- बराबर होंगे । मुहल्ला सबरी तप्पा 84 परगना कंतित तहसील मीरजापुर सदर शहरमीरजापुर वार्ड संख्या 12 स्थित मकान नम्बर 594 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरब- मकान रामदुलार चौधरी , पश्चिम - सड़क सरकारी , उत्तर- मकान भगवानदास , दक्षिण - जमीन रामदुलार चौधरी । दफा 8- यह कि मुहल्ला इमली महादेव (बड़ी माता की गली) शहर मीरजापुर वार्ड संख्या 5 स्थित मकान नम्बर 558 का हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद तनहा मालिक व काबिज हम पत्र नायक के तृतीय पुत्र स्वरूपचन्द होंगे । मुहल्ला इमली महादेव (बड़ी माता की गली) वार्ड संख्या 5 स्थित मकान नम्बर 558 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरब- गली सरकारी , पश्चिम - मकान लल्लूवर्मा , उत्तर- मकान लल्लू वर्मा , दक्षिण- मकान रमेशचन्द केसरा । दफा 9- यह कि मौजा बधुआ

1Re

INDIA

एक रुपया एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-7-

तप्पा 84 परगना कंतित तहसील मीरजापुर सदर (तोरहदी महावीर मार्ग) शहर मीरजापुर स्थित आराजी नम्बरी 44 मि0 क्षेत्रफल 3बिघा 5बिस्वा जो कागजात माल में संक्रमणीय भूमिधरी श्रेणी । मे अंकित है तथा उपरोक्त मौजा बधुआ स्थित आराजी नम्बरी 44 मि0 क्षेत्रफल 3बिस्वा जो कागजात माल मे खमन 12 मैं अंकित है यानी कुल 3बीघा 8बिस्वा क्षेत्रफल जो एक ही मैं एक दूसरे से सटे है। हम पत्र नायक की सम्पत्ति है के हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद हम पत्र नायक के चारो पुत्र गण किशुनचन्द व कृष्णचन्द व स्वरूपचन्द व नवीनचन्द बहिस्सा बराबर -बराबर के स्वामी व मालिक व काबिज होंगे। परन्तु उपरोक्त मौजा बधुआ स्थित उपरोक्त आराजी नम्बरी 44 का कोई हस्तान्तरण मेरे चारो पुत्र गण की सामूहिक सहमति व रजामन्दी व स्वीकृति से ही सम्पन्न किया जायेगा । दफा10- यहकि हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद हम पत्र नायक के उपरोक्त चारो पुत्र गण अपना अपना नाम उपरोक्त जायदाद पर इस वसीयतनामा के अनुसार नगरपालिका के कागजात व कागजात माल मे दर्ज करा लेने के अधिकारी होंगे । दफा 11- यहकि हम पत्र नायक ने अपने इस अन्तिम इच्छा पत्र (वसीयतनामा) के कुल मजमून को स्वयं शुरू से अंत तक पढ़ लिया है ।

1Re

INDIA

एक रुपया एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-8-

अतएव यह चन्द कलमः बतौर अपने अन्तिम इच्छा पत्र (वसीयतनामा) के हम पत्रनायक ने स्वस्थ मस्तिष्क व प्रसन्नचित्त से लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे ।

दिनांक 15-06-2006 ई०

मसविदा किया - [illegible] श्री [illegible] पाण्डेय एडवोकेट दीवानी कचहरी मीरजापुर 15/6/06

टाईप किया - शिव[illegible] दीवानी कचहरी [illegible]

[illegible]

गवाह विनीत कुमार पुत्र श्रीचन्द्र सा० कदमतर मीरसाहब की गली, मीरजापुर

2. [illegible] हरिप्रसाद मोहर्रिर नं. 126 दीवानी कचहरी मीरजापुर

[illegible]

4

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हमकि विष्णुचन्द, स्वरूपचन्द, व नवीनचन्द पुत्रगण स्व0 श्रीचन्द नि0 सोगण मोहल्ला मीर साहब की गली, कटरा, शहर मीरजापुर के है।

विदित हो कि मुकिरान कुल चार भाई क्रमशः विष्णु चन्द, कृष्णचन्द, स्वरूपचन्द व नवीनचन्द है, जिनमे कृष्णचन्द मानसिक रूप से कमजोर मुकिरान के पिता श्रीचन्द पुत्र स्व0 महादेव प्रसाद उर्फ कल्लू नि0 मो0 कटरा मीर साहब की गली, शहर मीरजापुर ने मृत्यु पूर्व वसीयतनामा लिख लिख व हस्ताक्षरित करके पंजीकृत करवा दिया था जो दिनांक 15-6-2006 को बही संख्या तृतीय जिल्द संख्या 103 के पृष्ठ 265/280 के नम्बर 14 पर पंजीकृत है। मुकिरान के पिता की मृत्यु दिनांक 28-8-2016 को हो गयी। पिता की मृत्यु के बाद मुकिरान खुली जमीन का स्वामी व काबिज बअख्तियार इन्तकाल हरगुना हो गये और जुमिला हकूक मालिकाना अमल मे लाते चले आ रहे है। दोनो नम्बरान आपस मे सटे है और कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा है

विष्णु चन्द Naveen Chandra स्वरूपचन्द

{2}

मुकिरान ने यह आवश्यक समझा कि आराजी निम्न का बटवारा आपस मे करना आवश्यक समझ कर यह मुनासिब समझा कि जायदाद निम्न का बटवारा कर लिया जाय। इसी बात को ध्यान मे रखकर मुकिरान ने आपस मे सभी भाईयो ने बटवारा कर लिया और आपस मे मिली जायदाद पर एकमेव कब्जा दखल भी हासिल कर लिया। मुकिरान के एक भाई कृष्णचन्द जो मानसिक रूप से कमजोर है उन पत्नी बटवारा के लिये सहमत रही परन्तु हस्ताक्षर करने के लिये सहमत नही रही इसलिये आपसी बटवारा को लिखा पढ़ी करना मुनासिब समझकर निम्न यादद्दाश्तनामा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी अनुचित दबाव के निम्न प्रतिबन्धो से आबद्ध होते है दफा 1- यह कि सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण निम्न मद 'क' मे अंकित किया गया है जिसके चार हिस्सेदार है। दफा2- यह कि सम्पत्ति विवरण अंकित मद "ख" विष्णुचन्द को आपसी बटवारे के हिस्से मे आयी है सम्पत्ति अंकित विवरण "ख" से अन्य किसी भाई से कोई वास्ता व सरोकार नही है और न कोई राइट टाइटिल या इन्टरेस्ट ही अन्य भाई को है सम्पत्ति अंकित विवरण मद 'ख' के एकमेव स्वामी व काबिज विष्णुचन्द है जिसकी नाप व चौहद्दी अंकित है। दफा 3- यह कि सम्पत्ति अंकित विवरण मद "ग" आपसी बटवारे मे स्वरूपचन्द के हिस्से में आयी। सम्पत्ति अंकित विवरण "ग" से अन्य भाई से किसी किस्म का कोई वास्ता व सरोकार नही है और न कोई राइट टाइटिल या इन्टरेस्ट ही अन्य भाई का है सम्पत्ति अंकित विवरण मद "ग" के एकमेव स्वामी व काबिज स्वरूपचन्द है जिसकी नाप व चौहद्दी निम्न है। दफा4- यह कि सम्पत्ति अंकित विवरण मद{घ} आपसी बटवारे मे नवीनचन्द के

विष्णु चन्द Naveen chandra स्वरूपचन्द

6

:3:

हिस्से मे आता है सम्पत्ति अंकित विवरण मद "घ" से अन्य भाई से किसी किस्म का कोई वास्ता व सरोकार नही है और न अन्य भाई का कोई राइट टाइटिल या इन्टरेस्ट ही है,सम्पत्ति अंकित विवरण " घ " के एकमेव स्वामी नवीनचन्द है जिसकी नाप व चौहद्दी निम्न है। दफा 5- यह कि सम्पत्ति अंकित विवरण मद " ड. " आपसी बटवारे मे कृष्णचन्द के हिस्से मे आयी है जो सभी भाईयो को मंजूर है किसी भी भाई को कोई आपत्ति नही है, सम्पत्ति अंकित विवरण मद "ड. " से अन्य भाई से किसी किस्म का कोई वास्ता व सरोकार नही है और न कोई राइट टाइटिल या इन्टरेस्ट ही है सम्पत्ति अंकित विवरण मद "ड. " के एकमेव स्वामी व काबिज कृष्णचन्द है जिसकी चौहद्दी व नाप निम्न है+ दफा 6- यह कि याददाश्तनामा पक्षगण के निर्देश परलिखा गया है जिसे पक्षगण ने पढ़कर समझ लिया है जो पक्षगण को स्वीकार है।

अत:यह चन्द कलमा बतौर याददाश्तनामा के लिखा दिया कि सनद रहे व वक्त जरुरत पर काम आवे।

मद "क"

सम्पूर्ण जायदाद स्थित ग्राम ~~[illegible]~~ छटाजा तप्पा 84 परगना कांति तहसील सदर, मुजफ्फरपुर

चौहद्दी-

पूरब- लोहदी महावीर मार्ग

पश्चिम- जमीन व मकान अन्य

उत्तर- जमीन व मकान अन्य

दक्षिण- जमीन व मकान अन्य

विष्णु चन्द   Naveen chand jain   रमेश चन्द

34

मद "घ"

विवरण सम्पत्ति जो बटवारा मे विष्णुचन्द के हिस्से मे मिली है स्थित ग्राम बटुआ तप्पा 84 परगना कंतित तहसील सदर. मीरजापुर

चौहद्दी- पूरब- लोहदी महावीर रोड

पश्चिम- जमीन व मकान अन्य

उत्तर- बहिस्सा कृष्णचन्द

दक्षिण- बहिस्सा स्वरूपचन्द

नाप- पूरब पश्चिम-416 फीट 7 इंच

उत्तर दक्षिण बजानिब पूरब- 55 फीट

उत्तर दक्षिण बजानिब पश्चिम- 56 फीट

मद "ग"

विवरण सम्पत्ति जो आपसी बटवारे मे स्वरूपचन्द को मिली है स्थित मोहल्ला बटुआ. तप्पा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर

पूरब- लोहदी महावीर मार्ग

पश्चिम- जमीन व मकान अन्य

उत्तर- हिस्सा विष्णुचन्द

दक्षिण- जमीन व मकान अन्य

नाप- पूरब पश्चिम- 416 फीट 7 इंच ✓

उत्तर दक्षिण बजानिब पूरब- 55 फीट

उत्तर दक्षिण बजानिब पश्चिम- 56 फीट

स्वरूप चन्द

विष्णु चन्द

Naveen Chand Jain

1/5/

मद "घ"

विवरण सम्पत्ति जो आपसी बटवारे मे नवीनचन्द को मिली
बटुआ
है स्थित ग्राम [illegible] तप्पा 84 परगना कंतित तहसील सदर

जनपद मीरजापुर

चौहद्दी-

पूरब- लोहन्दी महावीर मार्ग

पश्चिम- जमीन व मकान अन्य

उत्तर- जमीन व मकान अन्य

दक्षिण- हिस्सा कृष्णचन्द

नाप-

पूरब पश्चिम- 416 फीट 7 इंच

उत्तर दक्षिण बजानिब पूरब- 55 फीट

उत्तर दक्षिण बजानिब पश्चिम- 56 फीट

मद "ड"

विवरण सम्पत्ति जो आपसी बटवारे मे कृष्णचन्द को [illegible] है
बटुआ
स्थित ग्राम [illegible] तप्पा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर

चौहद्दी

पूरब- लोहन्दी महावीर मार्ग

पश्चिम- जमीन व मकान अन्य

उत्तर- हिस्सा नवीनचन्द

दक्षिण- हिस्सा विष्णुचन्द

नाप-

पूरब पश्चिम- 416 फीट 7 इंच

उत्तर दक्षिण बजानिब पूरब- 55 फीट

NOTARY

विष्णुचन्द Naveen Chand Jain कृष्णचन्द

(6)

[illegible] — 56 फीट

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible] गोरखपुर [illegible]

[illegible] — 1-3-2017

[illegible] Navanchandra [illegible]

10

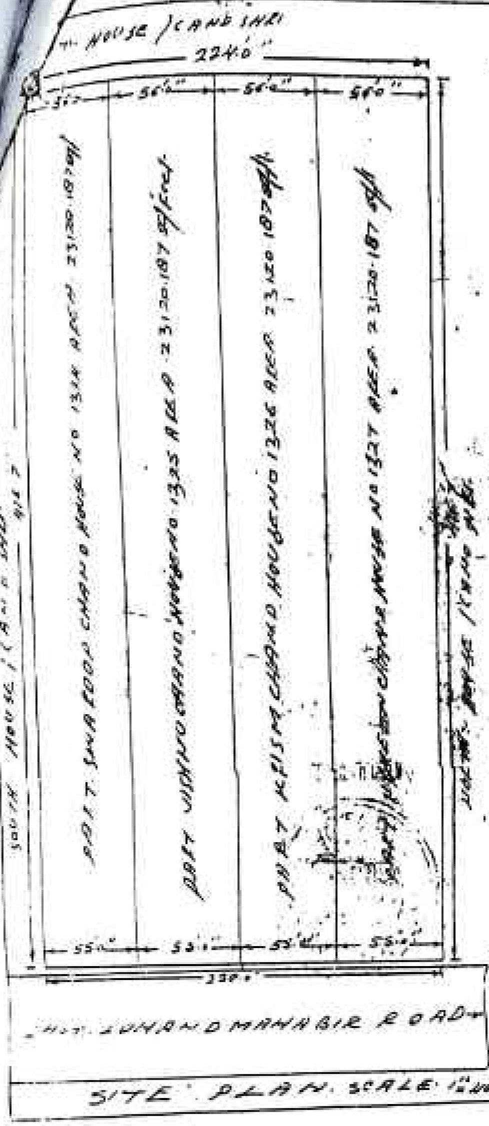

EXISTING HOUSE & LAND PLAN
SHOWING
PARTITION: BETWEEN.
SHRI SWAROOP CHAND, VISHNU CHAND
KRISHAN CHAND & NAVEEN CHAND
ALL S/O LATE SHREE CHAND
SITUATED MOH. LOHANDI ROAD.
HOUSE NO. 1324, 1325, 1326 & 1327
WARD NO. [illegible] MIRZA [illegible]
ARAZI NO _ . . . . AREA [illegible]
(32480.75 sq feet)

AREA SITE

REFERENCE

S.	NAME OF PARTY	AREA sq ft	
1.	SWAROOP CHAND H. NO 1323	23120.187	
2.	VISHNU CHAND H. NO 1324	23120.187	
3.	KRISHAN CHAND H. NO 1325	23120.187	
4.	NAVEEN CHAND H. NO 1327	23120.187	
	TOTAL AREA	32480.75	

DRAWN BY:-
[illegible signature]
27.2.2017
MOB: 9450600016

SIG OF WITNESS
1. स्वरूप चन्द
विष्णु चन्द
2. — — —
3. — — —
4. Naveen Chand
5. — — —

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद - मिर्जापुर।

विषय :- संलग्न प्रा०पत्र IGRS न०- 40019918003541 प्रार्थक श्री कृष्ण कठेरा S/o कृष्णलाल, कठेरा R/o कटरा PS कोतवाली मी०, हाल मु० लोहदी रोड PS कोतवाली कटरा मीर० के जाँच आख्या।

महोदय,

संलग्न प्रा०पत्र की जाँच मुझ प्राप्ती द्वारा मौके पर जाकर दोनों पक्षों से वार्ता की तो ज्ञात हुआ कि आवेदक मूल रूप से कटरा थाना कोतवाली मीरजापुर में रहता है, इसकी जमीन लोहदी रोड में है जहाँ पर दो कमरे बने एवं काफी जमीन व बाग है जिसकी रखवाली हेतु विपक्षी को करीब 4-5 साल से रखा था अब अपने विपक्षी को हटाना चाहते हैं। विपक्षी आवेदक से अपनी मजदूरी के रुपये चाहता है जबकि आवेदक का कहना है कि उसके मकान में रहने का भाड़ा / किराया हुये शामिल इस विवाद को पैसे का लेन-देन का आपस से हल करने हेतु दोनों पक्षों का समझाया गया। विपक्षी को आवेदक के मकान को खाली कराने हेतु कहा दिया गया। वस्तुतः यह विवाद दोनों पक्षों में मजदूरी व मकान के किराये के लेन देन का है जिसे दोनों पक्ष [illegible] लेने की बात कर रहे हैं। आवेदक को संदेह है कि चूंकि विपक्षी अनुसूचित जाति का है तो वह इनको आवेदक के विरुद्ध झूठा अभियोग SC/ST [illegible] के तहत न करा दे। प्रा०पत्र महज प्रतीभास में व संलग्न कर दिया गया है। जाँच के दौरान आरोप की पुष्टि नहीं हुई है।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक :- प्रा०पत्र - [illegible]

Sir
Submitted [illegible]
[illegible]
[illegible]18

प्रेषक
का० राजकुमार
[illegible]
PS [illegible]

रिपोर्ट थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय

जनपद मीरजापुर।

महोदय,

निवेदन है कि संलग्न प्रा0पत्र सदर्भ संख्या 40019918005148 आवेदक [illegible] सिंह कसेरा पुत्र कृष्ण चन्द्र कसेरा निवासी [illegible] थाना कोतवाली शहर मीरजापुर व उनके सगे चाचा विपक्षीगण नवीन चन्द्र कसेरा, स्वरूप चन्द्र कसेरा, विशुनचन्द्र पुत्रगण श्रीचन्द्र आपस में ये चार सगे भाई है। इन लोगों के मध्य मुहल्ला बाजार में बने पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। मौके पर पहुँचकर मुहल्ले के सभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर आपस में उभय पक्षों से बातचीत करायी गयी। जिससे फलस्वरूप चारों पक्ष पैतृक मकान में प्रत्येक 1/4 भाग के बंटवारा पर राजी हो गये। आवेदक द्वारा यह प्रा0पत्र बढ़ा चढ़ा कर मनगढंत आरोप लगाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसकी जाँच से पुष्टि नहीं हुई। मौके पर शांति विवाद पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

(उ0नि0 [illegible] कुमार सिंह)

थाना कोतवाली शहर, मीरजापुर।

संलग्नकः- प्रा0पत्र मय दीगर कागजात ... वर्क।

श्रीमान जी,
जाँच से सहमत
संस्तुति सहित अग्रसारित है।

प्रभारी निरीक्षक
कोतवाली शहर मीरजापुर

~~[illegible]~~

Mob. No 9455999618
Mob-No 7398509245

Rajendra Prasad Maurya
A/R 0538/15 Advocate
High Court Alld.

(U/S 482 Cr.P.C.)

Crl Misc Application No 8444/2020
Distt- Mirzapur

Rishabh Kasera ---Appli/petitioner
Vs
State of U.P. and another ---Resp.

Order dt- 6-3-2020

rning :- Don't tamper with the barcode.
ıbossing to be done below this line on the last page

Embossing to be done above this line on the last page
This Authenticated Copy is invalid without this page

HIGH COURT AT ALLAHABAD

Computerized Copying Section, High Court of Judicature at Allahabad

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No.of Pages
70086 of 2020	7.3.2020	A482	8444	2020	Allahabad	6.3.2020	15.0	1

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :- Name :- Milan Gupta Designation :- Review Officer Employee No. :- E7534 **Date of Printing**:- 7.3.2020	Signature :- 07/03/2020 Name :- KAPUR CHAND Designation :- Section Officer Employee No. :- 7008 **Authenticated Copy ready on**:-	17 MAR 2020

Court No. - 52
Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 8444 of 2020
Applicant :- Rishabh Kasera
Opposite Party :- State Of U.P. And Anr
Counsel for Applicant :- Rajendra Prasad Maury
Counsel for Opposite Party :- G.A.,Brijesh Kumar,Joginder Prasad

Hon'ble Neeraj Tiwari,J.

Heard learned counsel for the applicant, learned counsel for opposite party no. 2 and learned A.G.A. for the State.

The present application under Section 482 Cr.P.C. has been filed for quashing the entire criminal proceedings as well as impugned summoning order dated 21.12.2019 passed by Special Judge (SC/ST Act), Mirzapur in Complaint Case No. 01 of 2019 (later on Session Trial No. 124 of 2019), under Sections 323, 504, 506 I.P.C. and 3(1) (da), 3(1) (dha) and 3(1)(Pa) of The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Police Station City Kotwali, District Mirzapur, pending in the court of Special Judge (SC/ST Act), Mirzapur.

It is submitted by learned counsel for the applicant that there is civil dispute pending between the parties and mother of the applicant has given an application dated 17.01.2018 to the S.S.P., Mirzapur against the uncles of the applicant. It is further submitted that opposite party no. 2 is admittedly working as domestic servant at the resident of uncles of the applicant. A frivolous complaint by way of an application under Section 156(3) Cr.P.C. has been filed in which Naveen Chand, one of the uncles, is witness. It is next submitted that in fact no such incident has ever taken place and only to pressurise the applicant, the present proceeding has been initiated against the applicant.

Learned counsel for the opposite party no. 2 has vehemently opposed the submission of learned counsel for the applicant, but could not dispute the fact of pendency of civil dispute pending between the parties.

Learned counsel for the opposite party no. 2 prays for and is granted three weeks time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter.

List this case on 20.4.2020 before appropriate Bench.

Till the next date of listing, further proceeding of the aforesaid case shall remain stayed against the applicant.

This case shall not be treated as tied up or part heard to this Bench.

Order Date :- 6.3.2020
Rmk.

AUTHENTICATED COPY
27/03/2020
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), मीरजापुर।
परिवाद सं0 01/2019

सुकालु बनाम दिनेश विश्वकर्मा व अन्य।
थाना कोतवाली शहर, जनपद मीरजापुर।

21.12.2019–

पत्रावली आज आदेश के लिए नियत है।

परिवादी सुकालु पुत्र लोरीक, निवासी ग्राम भोजपुर, पोस्ट पहाड़ा, थाना पडरी, जनपद मीरजापुर द्वारा विपक्षीगण दिनेश विश्वकर्मा, आनन्द विश्वकर्मा पुत्रगण स्व0 गुलाबचन्द विश्वकर्मा, निवासीगण इमली महादेव, थाना शहर कोतवाली, मीरजापुर तथा ऋषभ कसेरा पुत्र कृष्णचन्द कसेरा, निवासी कदमतर, थाना शहर कोतवाली, जिला मीरजापुर व विनय कसेरा पुत्र रमेश प्रसाद निवासी पैरिया टोला, थाना कोतवाली कटरा, मीरजापुर के विरूद्ध प्रार्थनात्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0संहिता प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2018 द्वारा परिवादपत्र के रूप में दर्ज किया गया है।

परिवादी की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में धारा 200 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं को तथा धारा 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत गवाह पी0डब्लू0–1 नवीन चन्द व पी0डब्लू0–2 विश्वभूषण दीक्षित को परीक्षित कराया गया है।

परिवादी द्वारा परिवादपत्र के समर्थन में 4ख शपथपत्र एवं सूची 6ख/1 से स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति का0सं0 6ख/2, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति का0सं0 6ख/3, स्वयं के चिकित्सीय आख्या की मूल प्रति कागज सं0 6ख/4, पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति मय रजिस्ट्री रसीद का0सं0 6ख/5, पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित किये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति मय रजिस्ट्री रसीद का0सं0 6ख/6 एवं पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 सरकार को प्रेषित किये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति मय रजिस्ट्री रसीद का0 सं0 6ख/7 दाखिल किया गया है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी जा चुकी है तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवादी सुकालु अनुसूचित जाति के अन्तर्गत चमार जाति का है। वह इमली महादेव, थाना शहर कोतवाली में विष्णुचन्द, नवीनचन्द व स्वरूपचन्द के यहाँ मकान में मजदूरी कर रहा था कि दिनांक 27.09.2018 को समय सायं 5 बजे के लगभग वह सरकारी हैण्ड पाइप में पानी पीने लगा तभी दिनेश विश्वकर्मा, आनन्द विश्वकर्मा, जो हैण्डपम्प के सामने रहते है, आकर दिनेश ने उसे लात से मारा जिसके कारण वह गिर गया तथा आनन्द व ऋषभ कसेरा भी मारने लगे और कहा कि चले जाओ चमार हैण्ड पम्प छू कर गन्दा कर दिया, आज के बाद मत आना इस हैण्ड पाईप पर। उसी समय उनका मित्र विनय कसेरा भी आ गये और वे भी उसे भद्दी–भद्दी विनिर्दिष्ट गालियां देते हुए कहे कि भाग जाओ नही तो जान से मार डालेंगे। तब मोहल्ले के लोग जिनके यहाँ वह काम करता था, नवीनचन्द व स्वरूपचन्द आकर बीच बचाव किये। वह घटना की सूचना देने थाना कोतवाली शहर गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नही की गयी, तब वह जिला चिकित्सालय जाकर अपना मेडिकल उसी दिन कराया। बाद मे उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया।

परिवादी सुकालू ने अपने परिवाद के समर्थन मे द0प्र0सं0 की धारा 200 का बयान भी दिया है जिसमें उसने बताया है कि वह मजदूरा आदमी है, दिनांक 27 की घटना है, सितम्बर का महीना था। वह जहाँ काम कर रहा था, वहीं पर शाम को 5 बजे सड़क पर

हैण्ड पम्प पर पानी पीने गया था। वहाँ पर दिनेश, आनन्द, विनय और ऋषभ मिले और उन्होंने उससे उसकी जाति पूछी और जाति चमार बताने पर उन्होंने उसे चमरा की, मा-बहन की गाली देते हुए कहा कि चमार होकर हैण्डपम्प छू दिये, पूजा पाठ कैसे होगा। उसके बाद वे लोग उसे लात से मारे तथा विनय ने कालर पकड़कर जान से मारने की धमकी दी, तभी वह जिसके यहाँ काम कर रहा था, वे आये और उनलोगों से उसे बचाया। उसने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराया।

इस प्रकार परिवाद में उल्लिखित तथ्यों तथा उसके समर्थन में परिवादी द्वारा किये गये कथन अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० तथा साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र०सं० से प्रथम दृष्टया विपक्षीगण द्वारा परिवादी सुकालू को विनिर्दिष्ट गालिया देने, जान से मारने की धमकी देने, लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, अनुसूचित जाति के सदस्य प्रार्थी से घृणा करने तथा लात से मारने पीटने का अपराध किया जाना प्रकट हो रहा है जिसके सम्बन्ध में विपक्षीगण भा०द०सं० की धारा 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द), 3 (1)(ध) व 3 (1)(प) के अधीन विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण दिनेश विश्वकर्मा व आनन्द विश्वकर्मा पुत्रगण स्व० गुलाबचन्द विश्वकर्मा, निवासीगण इमली महादेव, थाना शहर कोतवाली, मीरजापुर व अभियुक्त ऋषभ कसेरा पुत्र कृष्ण चन्द कसेरा नि०मु० कदमतर, थाना कोतवाली शहर, जिला मीरजापुर व विनय कसेरा पुत्र रमेश प्रसाद, निवासी पँरिधा टोला, थाना कोतवाली कटरा, मीरजापुर को भा०द०सं० की धारा 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द), 3 (1)(ध) व 3 (1)(प) के अपराध में विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण जरिये समन तलब हों तथा परिवादी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण की घटना में जिन साक्षीगण को परीक्षित कराना चाहता हो उनकी सूची अगली तिथि तक प्रस्तुत करे। इस प्रकरण का विचारण नियमानुसार विशेष सत्र परीक्षण के रूप में किया जाय।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 28.01.2020 को पेश हो।

Sanjay Hari Shukla 21/12/19

दिनांक 21.12.2019

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी./एक्ट),
मीरजापुर।

4-1-20

7-1-20

Complaint | 1/2019
(29/19)
UPMI010001332019
No 124/19

3क
1

UPMI010005190/2018 (3701/18)

न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज एस.सी./एस.टी. ऐक्ट, मीरजापुर

प्रा०पत्र सं. 219 सन 2018

सुरेन्द्र बनाम दिनेश विश्वकर्मा वगैरह

धारा-
थाना- शहर कोतवाली, मीरजापुर

प्रार्थना पत्र 156(3) सी.आर.पी.सी. के तहत

प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र लोरिक निवासी ग्राम गोजपुर पोस्ट पहाड़ा, थाना पड़री, जनपद मीरजापुर

बनाम

1- दिनेश विश्वकर्मा पुत्र स्व0 गुलाबचन्द विश्वकर्मा

2- आनन्द विश्वकर्मा पुत्र स्व0 गुलाबचन्द विश्वकर्मा

साकिनान इमली महादेव, थाना शहर कोतवाली, मीरजापुर

3- रूपेश कसेरा पुत्र ... कसेरा नि0 कटरा थाना शहर को0 जिला मीरजापुर

4- विनोद कसेरा पुत्र रमेश प्रसाद निवासी ... टोला, थाना को0कटरा, मीरजापुर

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के अन्तर्गत चमार जाति का है हम प्रार्थी गरीब मजदूर व्यक्ति है तथा जाति का चमार है प्रार्थी मजदूरी करने के लिये इमली महादेव, थाना शहर कोतवाली मे विपक्षीगण दिनेश व आनन्द के यहाँ मकान मे मजदूरी कर रहा था कि दिनांक 27-9-2018 को समय करीब 5.00 बजे के करीब हम प्रार्थी सरकारी हैण्ड पाइप से पानी पीने लगा तभी विपक्षीगण दिनेश विश्वकर्मा पुत्र स्व0 गुलाबचन्द विश्वकर्मा आनन्द विश्वकर्मा पुत्र स्व0 गुलाबचन्द साकिन इमली महादेव,

थाना कोतवाली देहात मीरजापुर के हैण्ड पम्प के सामने रखे हुये में पानी भरकर ले जा रहा था कि दिनेश आकर मुझे लात से मारा मैं वहीं गिर गया तथा उसका भाई आनन्द व जयप्रकाश कसेरा पुत्र कृष्णानन्द कसेरा भी मारने लगे और कहा कि हटो साले चमार तुम हैण्ड पम्प छू कर गन्दा कर दिया आज के बाद मत आना इस हैण्ड पाइप पर अब हम सब पानी कैसे पायेंगे मैंने कहा कि मेरे छूने से कहां गन्दा हुआ तो कहा कि चमार जाति का होकर छुआ और बकवास कर रहे हो तभी उनका मित्र उत्तम कसेरा पुत्र रमेश कुमार निवासी टेढ़िया नीम, थाना कटरा कोतवाली मीरजापुर भी आ गये और वे भी मुझे गन्दी गन्दी चमार चोर व खून चोर की गालियां देते हुये कहा कि साले भाग जाओ वरना जान से मार डालेंगे तब मोहल्ले के लोग जिनके यहाँ हम प्रार्थी (काम करता था) रवीन्द्रनाथ व ... आकर बीच बचाव किया तथा कहा कि पानी हैण्ड पम्प सार्वजनिक है इस पर पानी पीने से नहीं रोका जा सकता और हम प्रार्थी तब थाना शहर कोतवाली गया वहां पर बैठे रहे हम प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया तब हम प्रार्थी जिला चिकित्सालय जाकर अपना इलाज व मेडिकल उसी दिन कराया यह जानकारी होने पर उक्त दिनेश वगैरह ने हम प्रार्थी को बराबर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही की तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे ऐसी स्थिति में न्यायहित में हम प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है प्रार्थी ने दिनांक 27-9-2018 को तत्काल थाना शहर को. मीरजापुर गया तथा लिखित प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब दिनांक 1-10-2018 को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर एवं डी.आई.जी. महोदय विन्ध्याचल मण्डल को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही

35/3

3

[illegible] हुई तब दिनांक 3-11-2016 को पुलिस महानिदेशक उ.प्र. सरकार लखनऊ को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई इससे विवश होकर प्रार्थी इन प्रार्थियों को हमारी जान माल [illegible] प्रार्थना पत्र की जानकारी इसलिए कोर्ट में [illegible] न्याय के हित में इस प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है पुलिस इलाकाई यह जानते हुये कि अभियुक्तगण संज्ञेय अपराध किया है परन्तु इस प्रार्थी की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किया . न्यायालय हाजा को सम्बन्धित अपराध में संज्ञान लेने व सुनवाई का को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि थानाध्यक्ष थाना [illegible] को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करनेहेतु आदेश पारित करें श्रीमान की अति कृपा होगी।

दिनांक [illegible]

प्रार्थी

[illegible]

सेवा मे,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
मीरजापुर

प्रार्थना पत्र द्वारा–सुकालू पुत्र लोरीक नि0 ग्राम–भोजपुर पहाड़ी, पो0–पहाड़ा, थाना–पड़री जिला–मीरजापुर।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम प्रार्थी गरीब मजदूर व्यक्ति है तथा जाति का चमार है। प्रार्थी मजदूरी करने के लिए इमली महोदव, थाना शहर को0 मे विष्णुचन्द, नवीनचन्द व स्वरूपचन्द के यहां मकान मे मजदूरी कर रहा था कि दिनांक 27.09.2018 को समय 05 बजे के करीब हम प्रार्थी सरकारी हैण्ड पाईप मे पानी पीने लगा तभी दिनेश विश्वकर्मा पुत्र स्व0 गुलाब चन्द विश्वकर्मा, आनन्द विश्वकर्मा पुत्र स्व0 गुलाब चन्द्र विश्वकर्मा साकिन इमली महोदव मीरजापुर जो हैण्डपम्प के सामने रहते है। मै पानी चलाकर पी रहा था कि दिनेश आकर मुझे लात से मारा मैं वही गिर गया तथा उनका भाई आनन्द व ऋषभ कसेरा पुत्र कृष्णचन्द कसेरा भी मारने लगे और कहा कि चले जाओ चमार तुम हैण्ड पम्प छूकर गंदा कर दिये आज के बाद मत आना इस हैण्ड पम्प पर अब हमरा व पानी कैसे पीयेगें। मैने कहा कि मेरे छुने से कहा गंदा हुआ तो कहा कि चमार जाति का होकर छूना और बकवास कर रहे हो। तभी उनका मित्र विनय कसेरा पुत्र रमेश प्रसाद निवासी पैरिया टोला, थाना कटरा को0 मीरजापुर भी आ गये और वे भी मुझे भद्दी–भद्दी माधरचोद व बहन चोद की गालियां देते हुए कहा कि साले भाग जाओ नही तो जान से मार डालेगें। तब मोहल्ले के लोग जिनके यहां हम प्रार्थीगण नवीनचन्द व स्वरूपचन्द आकर बीच बचाव किया तथा कहा कि पानी हैण्डपम्प सार्वजनिक है इस पर पानी पीने से नहीं रोका जा सकता और हम प्रार्थी तब थाना को0 शहर गया वहां पर बैठे रहे हम प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही किया गया तब हम प्रार्थी जिला चिकित्सालय जाकर अपना इलाज व मेडिकल उसी दिन कराया यह जानकारी होने पर उक्त दिनेश वगै0 ने हम प्रार्थी को बराबर जान से मारने की धमकी दे रहे है कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही की तो अपने जान से हाथ धो बैठोगें। ऐसी स्थिति मे न्याय के हित मे हम प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि हम प्रार्थी की रिपोर्ट थाना को0 शहर मे दर्ज कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

दिनांक:– 1-10-18

ह0 प्रार्थी

संलग्नकः–जिला चिकित्सालय मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति।

सेवा में,

[illegible]

[illegible]

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के क्रम में [illegible] सम्बन्ध में अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि सन्दर्भित प्रार्थना पत्र की जाँच द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह को दिया गया जिन्होंने जाँच से पाया कि विपक्षी दिनेश त्रिपाठी आदि के स्वरूप चन्द पक्ष [illegible] कसेरा (जिसके के यहाँ आवेदक नौकरी करता है) के मध्य भूमि सम्बन्धित विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों को काफी तनाव है। दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों पक्षों के लड़ते रहते हैं। इन दोनों पक्षों के [illegible] भूमि के विवाद को देखते हुए एक पक्ष के [illegible] काम करता है को [illegible] प्रार्थना पत्र दिया कि इसके [illegible] SC/ST में आने पर विपक्षीगण के विरुद्ध [illegible] अभियोग पंजीकृत हो जायेगा। यही सोच कर आवेदक को [illegible] के लिए [illegible] कहा गया व इसकी [illegible] की बात को बढ़ा-चढ़ा कर आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 CrPC की कार्यवाही हेतु [illegible] 27.7.18 को

IN The High Court Of Judicature At Allahabad.

[illegible] CAVEAT APPLICATION NO. of 2020.

[illegible] Rules of The Court Read With 148A Civil Procedure Code).

ON BEHALF OF

[illegible] Lorik Resident of Village Bhojpur Post Office Pahara Police Station Pahri District Mirzapur, U. P. Caveator Applicant

IN

Proposed Criminal Misc Writ Petition No.. Of 2020

(Under Article 226 of Constitution of India)

District: MIRZAPUR

[illegible] Vishwakarma S/O Late Gulab Chand Vishwakarma R/O Imali Mahadev P/S City Kotwali Mirzapur U.P.

2. Anand Vishwakarma S/O Late Gulab Chand Vishwakarma R/O Imali Mahadev P/S City Kotwali Mirzapur U.P.

Rishabh Kasera S/O Krisnchand Kasera R/O Kadamtar P/S City Kotwali District Mirzapur U.P.

[illegible] Vikas Kasera S/O Ramesh Prasad R/O Pairiy Tola P/S Kotwali Katara District Mirzapur U.P.

Proposed Petitioner

Versus

Sukalu Son of Lorik Resident of Village Bhojpur Post Office Pahara Police Station Pahri District Mirzapur, U.P.

The Hon'ble Chief Justice and his other Companion Judges of the aforesaid Court, the humble Caveat Application of The above named Caveator/applicant most respect [illegible] showiest as under:

[illegible] Petitioner may file the proposed writ petition, before this Hon'ble [illegible] order dated 21-12-2019.

That the counsel is willing to appear the said writ petition of the admission stage for which he has engaged the undersigned (Sri Brijesh Kumar Advocate High Court chamber no. 175 Allahabad) to received the notice of stay application as well writ petition and to appears the same at the admission stage.

(3) That in view of the aforesaid fact, it is expedient in the interest of Justice that the counsel for the proposed Petitioner may be directed to served a copy of proposed writ petition to the Caveator through his counsel before filing the same in this Hon'ble court.

[illegible] the proposed Petitioner has been served with copy of this caveat application by [illegible] Post.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble court an opportunity of being heard may kindly be given to the Caveator before passing any order, either on the writ petition or on the application for interim relief, if any, filing by the proposed Petitioner against the order dated 21/12/2019passed by special judge S.C/s.t. act Mirzapur and further be pleased to direct the proposed Petitioner to serve the copy of the writ petition along with it's annexure sot the Caveator in the interest of Justice.

Dated 03/01/2020

Brijesh Kumar advocate

Counsel for Caveator Respondent,
Chamber no 175,
High Court Allahabad.,
Mobile no. 9044901026.

Annexure-4

क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

संदर्भ संख्याः–
Ref.No.: G-0218/OA-664/2023/2024

दिनांकः–
Date: 01/03/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–664/2023 अंकुर वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–11.01.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा दिनांक–28.02.2024 को किये गये निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से संज्ञान में आया है कि मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर में संचालित है। उक्त उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में पीतल स्क्रैप का उपयोग कर पीतल के वर्तन के उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल के पिघलाने हेतु एक मेल्टिंग फर्नेश स्थापित पायी गयी, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति आदेश प्राप्त नहीं है। उद्योग स्थल के बारे में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर से दूरभाष पर वार्ता की गयी। तत्क्रम में संज्ञान में आया कि उद्योग का भवन श्री विष्णु चन्द, सरूप चन्द, श्रीकृष्ण चन्द, नवीन चन्द पुत्र स्व0 श्रीचन्द अंकित है एवं उक्त फर्म के स्वामी श्री रिषभ कसेरा पुत्र श्रीकृष्ण चन्द हैं। उक्त वार्ता से उद्योग स्थल का प्रयोजन आवासीय होना दृष्टिगोचर हुआ है। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनुमन्य नहीं होने के आलोक में उद्योग के विरूद्ध बन्दी की कार्यवाही होना नितान्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

01/03/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No H07865/सी-2/वायु-538/मिर्जापुर/24 दिनॉक Date 4-3-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स,
मीर साहब की गली, कदमतर,
मीरजापुर।

यह कि **मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में पीतल के स्क्रैप का प्रयोग कर पीतल के बर्तन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा– 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 01.03.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में पीतल स्क्रैप का उपयोग कर पीतल के बर्तन के उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल को पिघलाने हेतु एक मेल्टिंग फर्नेश स्थापित पायी गयी, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्राप्त नहीं है। उद्योग स्थल के बारे में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर से दूरभाष पर वार्ता की गयी। तत्क्रम में संज्ञान में आया कि उद्योग का भवन श्री विष्णु चन्द, सरूप चन्द, श्रीकृष्ण चन्द, नवीन चन्द पुत्र स्व0 श्रीचन्द के नाम अंकित है एवं उक्त फर्म के स्वामी श्री रिषभ कसेरा पुत्र श्रीकृष्ण चन्द है। उक्त वार्ता से उद्योग स्थल का प्रयोजन आवासीय होना दृष्टिगोचर हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 01.03.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवसीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनुमन्य नहीं होने एवं आवासीय परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना संचालन किये जाने के दृष्टिगत् इकाई के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि **मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मीरजापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) मीरजापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com Chemical clo- order

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या– H35723/सी-4/OA No-64/2016 दिनांक– 10-05-19

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

विषय : <u>माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 64/2016 एवं एम0ए0 सं0 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.11.2018 के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 64/2016 एवं एम0ए0 सं0 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में दिनांक 28.11.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है ....

"Even though the present application referred to be the units at Mathura order of the Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the state of U.P. and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report."

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका सं0 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या– सी0एस0/89/9–अ–3–2003–82 रिट/2003 दिनांकित– 05.09.2003 एवं शासनादेश सं0 सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–82रिट/2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 दिनांक 10–11–2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश 35557/सी–4/उ0प्र0 शासन/04 दिनांक 16.08.2004 जारी किया गया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (Civil) No (s) . 4295 2011 (M/s Manoj Mini Rice Mill & Ans Vs State of U.P. & Ors. में दिनांक 23.09.2013 को पारित आदेश ....

"We consider it necessary to observe that the Government of Uttar Pradesh and its officers as also the Uttar Pradesh Pollution Control Board shall take active and effective steps for implementation of the directions given by the High Court in Writ Petition No.

34957 of 2003 – Srimati Mithilesh Jain V. State of U.P. and others and order passed in P.I.L. Writ Petition No. 15432/2010 Smt. Indira Singh vs. State of U.P. and others and ensure that all commercial and industries are shifted out of the residential areas without any delay."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल निर्णय पारित किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

संलग्नक : मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. समस्त वृत्त अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अनु सचिव, पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक–1745/पी0एस0एम0एस0/एस0ओ0–2018 दिनांक– 05.12.2018 के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रमुख सचिव महोदय स्तर से शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेगें।

सदस्य सचिव

 Annexure-7

Item Nos. 1 to 4 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 64/2016
(M.A. No. 1024/2017)
With
Original Application No. 473/2016
With
Original Application No. 518/2018
M.A. Nos. 1243/2018 & 1244/2018
With
Original Application No. 910/2018

Gopeshwar Nath Chaturvedi Applicant(s)

Versus

U.P. Pollution Control Board & Ors. Respondent(s)

With

Kantanath Chaturvedi Applicant(s)

Versus

U.P. Pollution Control Board & Ors. Respondent(s)

With

Harish Garg Applicant(s)

Versus

U.P. State Pollution Control Board & Ors. Respondent(s)

With

Kunj Bihari Bhardwaj Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 28.11.2018

CORAM:HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s): Mr. Rahul Kumar, Advocate
Ms. Savitri Pandey, Advocate
Mr. I.K. Kapila, Advocate

For Respondent (s): Mr. Rajkumar, Advocate
Mr. Amit Tiwari, Advocate
Mr. Pradeep Misra, Advocate
Mr. S.K. Bhomicharya, Advocate
Mr. Sarthak Chaturvedi, Advocate
Mr. Rahul Khurana and Mr. Dinesh Agarwal, Advocates

ORDER

1. The issue in these applications is compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 23.09.2013 in SLP (Civil) No. (s) 4295/2011- M/s. Manoj Mini Rice Mill & Anr. Vs. State of U.P. & Ors, directing the implementation of the order of Division Bench of the Allahabad High Court, dated 13.08.2003 in Smt. Mithlesh Jain Vs. State of U.P. & Others (2003(6) AWC 4742, directing the industrial activities in residential areas to be shifted from such areas for protection of environment.

2. On 06.04.2018, the matter was considered by this Tribunal. It was noted that the units working at Mathura in residential area had agreed to shift and from some had actually shifted. The Pollution Control Board had refused consent to operate to many of the units. However, since it was stated on behalf of the applicant that some of the units were still operating, the District Administration, Mathura was directed not to allow the units, which did not have consent to operate or those who were not complying with the environmental norms to operate. The District Administration was to disconnect the electricity and water supply and file a status report.

3. Accordingly, status report has been filed on 26.04.2018 by the District Magistrate, Mathura to the effect that out of 77 units which were operating, consent to operate had been declined to 26 units. Electricity and water supply connection of all the 77 units were disconnected. Further, affidavit was filed in response to an application filed by the units for permission to operate stating that in spite of furnishing of an undertaking to shift, switch over to ZLD and not to use cyanide, the units were acting in breach of the undertaking. The ETPs were non- functional. The untreated effluent was being discharged in river Yamuna through open storm water drain. The units are of red category, as per classification by the CPCB. The use of cyanide based technology was prohibited by CPCB, vide order dated 18.08.2017. Such units cannot, thus, be allowed to operate as was the prayed by the said units claiming that they were compliant.

4. We have heard the learned counsel for the parties.

5. Learned counsel for the applicants submitted that even though the administration claims to have closed the units and disconnected the water and electricity, some of the units are still illegally functioning. The list of such units

has been filed in O. A. No. 910 of 2018. In these circumstances, Sh. I. K. Kapila, learned counsel for some of the applicant in the said matter has handed over a format of undertaking, prescribed in proceedings in the Hon'ble Supreme Court to deal with an identical situation in M. C. Mehta Vs. UOI & Ors. WP(C) No. 4677 of 1985,(2004)6 SCC 588. Undertaking is, inter-alia, as follows:

5. *"That, I/We seek restoration of electricity/water connection/deasealing of the said premises of the purpose of:*
   - *(i) Removal of Machinery and other related items of industrial activity being carried out in the premises.*
   - *(ii) That I will inform in writing to the DCI(Policy) in Department of industries details of disposal of machinery with self-attested documents within 7 days of desealing of my premises by the SDM.* Para 5 is modifying the language as may be applicable to the fact situation.
   - *(iii) I intent to shift my plant and machinery to the new place in conforming industrial area as located at....... And a self-attested photocopy of the documents as proof of ownership and rent receipt etc is enclosed.*
6. *That, I/.We undertake not to carry out any activity in the existing premises after it desealed and this premises will be used only in a conforming manner."*

6. Learned counsel for the State of UP as well as learned counsel for UPPCB supported the above stand of such an undertaking being required for restoring the electricity/water connection in respect of the said units.

7. Learned counsel for the State/UPPCB also submit that the industries have been shifted to Jai Singh Pura which is also known as Guar Kendra which is an industrial area as per applicable master plan. It has been further stated that out of 77 units 7 units were not found at the location/address, 50 units have been shifted/ closed and 20 units were though consent was rejected and appeals against refusal of consent were dismissed. The said units have filed O. A. NO. 518 of 2018.

8. In view of the above, we pass the following orders:

(i) The application- O. A. NO. 518 of 2018 is dismissed.

(ii) Any unit out of 77 units in question, seeking restoration of water /electricity connection/ desealing will be required to furnish an undertaking in terms of para 5 herein above to the extent applicable in a fact situation, before the District Administration..

(iii) The UPPCB and all other concerned statutory authorities will ensure that there is no violation of environment laws at Jai Singh Pura industrial area. In this regard, a Joint Inspection be carried out of the said

area by the representatives of the UPPCB and CPCB within one month from now. The deficiencies found, if any, may be addressed to the satisfaction of the CPCB. This area should have proper infrastructural facilities like CETP, TSDF, as required under the law.

(iv) It is made clear that if any DG set is operating to facilitate any of the above units, such DG sets may be seized by the District Administration on 'Precautionary Principal'.

(v) If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed.

9. Even though the present application referred to the units at Mathura, order of the Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the State of UP and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report in this regard is furnished to this Tribunal within three months.

10. All these applications i.e. O.A. 64/2016(M. A. NO. 1024/2017), O.A. NO. 473/2016, O.A. No. 518/2018(M. A. NO. 1243/2018 & .A. NO. 1244/2018) and O.A. No. 910/2018 are disposed of, except for consideration of the report which may be furnished.

11. List the matter for consideration of the report in 2nd week of May, 2019 and same may be treated as a separate matter.

Adarsh Kumar Goel, CP

Raghuvendra S. Rathore, JM

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

November 28, 2018
jg

Annexure-8

क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

संदर्भ संख्या:–
Ref.No.: G-0219/ OA-664/2023/2024

दिनांक:–
Date: 01/03/2024

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद मीरजापुर,
जनपद–मीरजापुर।

विषय:– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–64/2016 एवं एम0ए0 संख्या–1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक–28.11.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या–**H35723/सी–4/O.A.No. 64/2016** दिनांक–**10.05.2019** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें **(छायाप्रति संलग्न)**। उक्त पत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–64/2016 एवं एम0ए0 संख्या–1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक–28.11.2018 का अनुपालन कराया जाना वर्णित है। आबादी क्षेत्र में स्थापित/संचालित उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–64/2016 एवं एम0ए0 संख्या–1024/2017 गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक–28.11.2018 के मुख्य अंश निम्नवत् है:–

"If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु आबादी क्षेत्र में स्थापित/संचालित उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किये जाने के निर्देश बोर्ड के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक–10.05.2019 द्वारा प्राप्त है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–664/2023 अंकुर वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर के आवासीय क्षेत्र में संचालित होने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरिसंदर्भित आदेश 28.11.2018 के आलोक में शिफ्टिंग हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति आपको प्रेषित की जा रही है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:– यथोक्त।

भवदीय,
01/03/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि:– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

01/03/2024
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in